

उत्तराखण्ड शासन  
औद्योगिक विकास अनुभाग-1  
संख्या: १५७३/VII-1/158-ख/04टीसी  
देहरादून: दिनांक: ३० सितम्बर, 2016

Mo  
३०/१०/१८

राज्य में ई-ट्रांजिट पास (ई-रवना) क्रमबद्ध लागू किये जाने हेतु शासन की अधिसूचना सं० १३६०/VII-1/2016/158-ख/04टीसी दिनांक ३० सितम्बर, 2016 एवं अधिसूचना सं० १५७३/VII-1/2016/158-ख/04टीसी दिनांक ३० सितम्बर, 2016 द्वारा क्रमशः उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (मूल नियमावली) एवं उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2005 (मूल नियमावली) में अतिरिक्त प्रावधान एवं संशोधन किये गये हैं, जिसकी प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मा० खनन एवं परिवहन मंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा० मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. रटाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
4. समस्त अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, सचिव, प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डलायुक्त, कुमाऊँ/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अवैध खनन निरोधक सर्तकता इकाई, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड वन विकास निगम, देहरादून।
9. प्रबन्ध निदेशक, कुमायूँ मण्डल विकास निगम, नैनीताल।
10. प्रबन्ध निदेशक, गढ़वाल मण्डल विकास निगम, देहरादून।
11. अपर सचिव, गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन को गोपन (मंत्रिपरिषद) अनुभाग के अशासकीय पत्र संख्या-४/२/xxi!!/xxi/2016-सी०एक्स० दिनांक 28 सितम्बर, 2016 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।
12. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, भोपालपानी, देहरादून।
13. निदेशक, सूचना विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
14. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-४ में मुद्रित कराकर इसकी 250 प्रतियां औद्योगिक विकास अनुभाग को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
15. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,  
(विनय शंकर पाण्डेय)  
अपर सचिव